

ग्रामस्थ दिन योजना

प्रशिक्षण

ग्रामस्थ दिन कार्यक्रमाची व्याप्ती :

नाशिक विभागातील खालीलप्रमाणे एकूण ४८८६ ग्रामपंचायतीमध्ये प्रत्येक दोन महिन्यांपासून एकदा ग्रामस्थ दिन सभा आयोजित करणे व झालेल्या कामकाजाचा व प्राप्त तक्रारींचा पाठपुरावा करत राहणे हे व्यापक स्वरूपाचे व अत्यंत महत्वाचे काम आहे. विविध विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांना हे काम करावे लागणार आहे. सर्वच विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवा व राबविल्या जाणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये या कार्यक्रमांमुळे मदत होणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे म्हणून सर्वच स्तरातील अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.

महसूल विभागाचा प्रशासकीय रचनात्मक तक्ता

नाशिक महसूल विभाग

| अ.क्र. | जिल्हा | उपविभाग | तहसिल | महसूल मंडळे | सजांची संख्या | गावांची संख्या | ग्रामपंचायती |
|---------------|----------|---------|-------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| १ | नाशिक | ४ | १५ | ७० | ५३२ | १९५७ | १३७३ |
| २ | धुळे | २ | ४ | ३२ | २२५ | ६७६ | ५५१ |
| ३ | नंदुरबार | २ | ६ | ३२ | २२२ | ८६२ | ५०१ |
| ४ | जळगांव | ४ | १५ | ७५ | ५०५ | १५०० | ११५२ |
| ५ | अहमदनगर | ४ | १४ | ५१ | ५६४ | १५८८ | १३०९ |
| विभागाची एकूण | | १६ | ५४ | २६० | २०४८ | ६५८३ | ४८८६ |

ग्रामस्थ दिन प्रशिक्षण :

ग्रामस्थ दिन योजनेची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी सर्व संबंधितांना प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षण कार्यक्रम खालीलप्रमाणे राबविण्यात यावा.

| प्रशिक्षण कोणी घ्यावयाचे | प्रशिक्षण कोणाला घ्यावयाचे | प्रशिक्षणाचे मुद्दे |
|---|---|--|
| विभागीय आयुक्त कार्यालय नाशिक | सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व अप्पर जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व उप विभागीय अधिकारी व त्या त्या जिल्ह्याचे ग्रामस्थ दिन योजनेचे काम पाहणारे उप जिल्हाधिकारी | १. ग्रामस्थ दिन संकल्पना |
| | | २. कार्यपध्दती |
| | | ३. अहवाल पध्दती |
| | | ४. आंतर विभागीय समन्वय |
| | | ५. विभागीय स्तरावरील समन्वय व संनियंत्रण |
| | | ६. यशस्वीपणे ग्रामस्थ दिन राबविणारे अधिकाऱ्यांचे अनुभव कथन |
| ७. सूचना, नव्या कल्पना व खुली चर्चा | | |
| संबंधित जिल्हाधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी | सर्व जिल्हास्तरीय अधिकारी, सर्व उप विभागीय अधिकारी, सर्व तहसिलदार, सर्व गट विकास अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे सर्व खाते प्रमुख | १. ग्रामस्थ दिन संकल्पना |
| | | २. कार्यपध्दती व नियोजन |
| | | ३. समन्वय-संनियंत्रण |
| | | ४. अहवाल-पध्दती |
| | | ५. आंतर विभागीय समन्वय |
| | | ६. यशस्वीपणे ग्रामस्थ दिन राबविणारे अधिकाऱ्यांचे अनुभव कथन |
| ७. सूचना, नव्या कल्पना व खुली चर्चा | | |
| | | |

| प्रशिक्षण कोणी घ्यावयाचे | प्रशिक्षण कोणाला घ्यावयाचे | प्रशिक्षणाचे मुद्दे |
|--|--|--|
| संबंधित उपविभागीय अधिकारी / अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी | अ. तालुका निहाय प्रशिक्षण - अधिकारी व कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण | |
| | सर्व तालुकास्तरीय अधिकारी, सर्व पालक अधिकारी, सर्व ग्राम अधिकारी | १. ग्रामस्थ दिन संकल्पना |
| | | २. कार्यपध्दती व नियोजन |
| | | ३. सर्व विभागांचे योजनांची व दिल्या जाणाऱ्या शासकीय सेवांची माहिती |
| | | ४. समन्वय-संनियंत्रण |
| | | ५. अहवाल-पध्दती |
| | | ६. आंतर विभागीय समन्वय |
| | | ७. यशस्वीपणे ग्रामस्थ दिन राबविणारे अधिकाऱ्यांचे अनुभव कथन |
| | ८. सूचना, नव्या कल्पना व खुली चर्चा | |
| | ब. तालुका निहाय प्रशिक्षण - सरपंच व लोकप्रतिनिधी यांचे प्रशिक्षण | |
| | सर्व ग्रामपंचायतीचे सरपंच, पंचायत समिती सदस्य व इतर लोकप्रतिनिधी | १. ग्रामस्थ दिन संकल्पना |
| | | २. कार्यपध्दती |
| | | ३. विकास कामातील जन सहभागाचे महत्व |
| | | ४. ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये यशस्वीपणे ग्रामस्थ दिन राबविला गेला तेथील सरपंच/ लोकप्रतिनिधींचे अनुभव कथन |
| ५. सूचना, नव्या कल्पना व खुली चर्चा | | |

प्रत्येक प्रशिक्षण वर्गासाठी जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी न चुकता हजर रहावे. क्षसेच विभागीय आयुक्त कार्यालयातील संबंधित संपर्क उप आयुक्त यांनी सुध्दा प्रशिक्षणासाठी न चुकता हजर राहून सर्व संबंधितांना ग्रामस्थ दिन ही संकल्पना कळेल अशा पध्दतीने प्रशिक्षण दिले जाईल याबाबत दक्षता घ्यावी.